न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00222RAAJodhpur2019-120RTA225 Fefkanwar ors Vs Bhanwar kanwar etc

01. फेफकंवर पत्नी स्व. मोहनसिंह
02. गुलाबकंवर पुत्री मोहनसिंह
03. भंवरी कंवर पुत्री मोहनसिंह
04. संतोष पुत्री मोहनसिंह
05. पुष्पा कंवर पत्नी हुकमसिंह
06. भूपेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
07. नीतू कंवर पुत्री हुकमसिंह नाबालिग जरिये माता पुष्पाकंवर
08. नेपालसिंह पुत्र हुकमसिंह नाबालिग जरिये माता पुष्पाकंवर
09. कमुकंवर पत्नी हीरसिंह
10. पूनमसिंह पुत्र हीरसिंह
11. मूली उर्फ मनोहरकंवर पुत्री जालमसिंह
12. बाया उर्फ सुगनकंवर पुत्री जालमसिंह
13. दुर्गा पुत्री जालमसिंह
14. अमरसिंह पुत्र जालमसिंह
15. जितेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह
16. रूपमकंवर पत्नी प्रेमसिंह
17. पर्वतसिंह पुत्र प्रेमसिंह
18. खीवसिंह पुत्र प्रेमसिंह
19. करणसिंह पुत्र प्रेमसिंह
20. सज्जनकंवर पुत्री प्रेमसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम रिया तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. भंवरकंवर पत्नी मांगूसिंह
2. जगदीशसिंह पुत्र मांगूसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र मांगूसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र मांगूसिंह

जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण- ग्राम रिया तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

5. भैरूदीन पुत्र इबू खॉ
6. साबुदीन पुत्र इबू खॉ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03.02 बीघा, खसरा नं. 230/7 रकबा 06.19 बीघा, खसरा नं. 230/8 रकबा 02.10 बीघा, खसरा नं. 230/9 रकबा 06.10 बीघा(मूल खसरा नं. 230 के भाग) ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 229 में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2019 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से छः का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 230 मे आने जाने हेतु तेतरानाडी के अंगोर में सें होकर रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय के समक्ष बखूबी रखा था। रेस्पोडेंट्स उक्त रास्ते का लगातार उपयोग करते आ रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अीपलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक रास्ते को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए वैकल्पिक रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगाये जाने के निर्देश दिये। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना किये बिना ही विधि-विरुद्ध तरीके से आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपास्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के तहत किसी खेत के लिये रास्ता उसी स्थिति में दिलाया जा सकता है, जब उस खेत में जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं हो। हस्तगत मामले में रेंस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नये रास्ते का आदेश पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 28 जून 2019 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. पक्ष को सुनकर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन रास्ते की लंबाई केवल 33 फीट ही है। रेस्पोडेंट्स द्वारा रास्ते की प्रतिकर राशि जमा करवायी जा चुकी है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये नाडी वाले खसरे एवं रेस्पोडेंट्स की भूमि के बीच में अन्य खसरा की भूमि आती है। काननून प्रतिबंधित किस्म की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। मौका फर्द में उक्त रास्ते की दूरी मात्र 5 गट्टा बतायी गई है तथा रास्ते रूप में रकबा 09 बिस्वांसी बनता है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त मौका रिपोर्ट माननीय मण्डल द्वारा निगरानीधीन आदेश दिनांक 16.07.2018 की पालना में पुनः तलब की गई है।

अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु तेतरानाड़ी में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, किंतु अपीलांट्स द्वारा अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2019 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर